



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
वेबसाइट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: हि.अनु./हि.शि.यो./संगठन/2021/वॉल-IV/ 1952

दिनांक: 30 MAY 2024

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.) /
अपर केंद्रीय भविष्य निधि, आयुक्त (अंचल),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय/आं.प्र.सं.),
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय (प्र.से.प्र.),

विषय: हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जुलाई-नवंबर, 2024 सत्र के नियमित हिंदी 'प्रबोध', 'प्रवीण', 'प्राज्ञ' एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, (मध्योत्तर क्षेत्र) के पत्र सं. 3/8/2022-23/उ.नि.(म)/789 दिनांक: 28.04.2024 की प्रति (संलग्न) आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है । आपसे अनुरोध है कि अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों को उक्त सत्र में नामित कर प्रशिक्षण दिलवाएं ।

कृपया कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवश्य सूचित करें ।

संलग्न: यथोपरि ।

भवदीया,

(वीणा रानी यादव)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



दूरभाष 011 : 26175246
Phone : 26191574
: 26191572
E-mail : ddhts-nc-dol@nic.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPT. OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र)
HINDI TEACHING SCHEME (NORTH CENTRAL REGION)

संख्या / No.: 3/8/2022-23/इनि.(म)/789

दिनांक / Date: 23/4/2024

सेना में,

संपर्क अधिकारी (हिंदी)
कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी(राजभाषा)
भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,
दिल्ली, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश,
बिहार, चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़।

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जुलाई-नवंबर, 2024 सत्र के नियमित हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

महोदय/महोदया,

भारत के राष्ट्रपति महोदय के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, बैंकों इत्यादि के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

उक्त आदेश के अनुपालन में उप निदेशक (मध्योत्तर)का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र जुलाई, 2024 के पहले सप्ताह से प्रारम्भ किया जाएगा। कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में भरकर दो प्रतियों में इस कार्यालय में 15 जुलाई, 2024 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जुलाई-नवंबर, 2024 सत्र में हिंदी कक्षाएं ऑफलाइन चलाई जाएंगी। हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए :-

...../2-

हिंदी प्रशिक्षण हेतु पात्रता

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों/निगमों/निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, पणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने के लिए है। एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं 01 जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी।)	जो अधिकारी/कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय ज्ञापन सं०- 21034/66/2010-राभा (प्रशिक्षण)/दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रबोध	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे। मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	-वही-	-वही-
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-भाषी कर्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी तथा पस्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र है।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने के लिए एकांतर दिवस 1.30 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटा (कक्षाएं जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी।)	-वही-
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों / उद्यमों/अभिकरणों / निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कर्मिक इस प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 05 महीने के लिए है एकांतर दिवस 02 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षाएं नवंबर 2024 में आयोजित की जाएंगी।)	जो प्रशिक्षणार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय ज्ञापन सं०- 21034/69/2008/राभा(प्रशि०)/दिनांक 21.12.2020 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

नोट:-

- जिन कर्मचारियों को कार्यालय में किसी प्रकार का सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियों लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉल्टर, इलैक्ट्रिशियन, फिटर, ब्राकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं किसी प्रकार का सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशाप के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- सभी कार्मिक जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।
- राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्रशिक्षण) दिनांक 06 जुलाई, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके तथा निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन जैसे नकद पुरस्कार व वैयक्तिक वेतन आदि का लाभ मिल सके।

1. प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित प्रणाली में भरा जाएगा। इसलिए सभी प्रशिक्षार्थियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर उप निदेशक (म.), हिशियो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पूर्व ब्लॉक-7, लेवल-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066. (अनुलग्नक-II) भिजवाएं जिससे उनका विवरण सही-सही भरा जा सके।

2. परीक्षा संबंधी सूचना

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएंगी।
- नियमित व प्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक -II) में दिनांक 15.07.2024 तक उप निदेशक (मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
- प्रत्येक पाठ्यक्रम के दो प्रश्न पत्र होते हैं यथा-प्रश्न-पत्र-I व प्रश्न पत्र- II इनकी परीक्षाओं की अवधि तीन-तीन घंटे की होगी और कुल अंक 100-100 की होगी। इसके अलावा प्राइवेट प्रशिक्षणार्थियों के लिए मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी।

3. परीक्षा शुल्क व भुगतान का माध्यम

- केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
- भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के सभी नियमित व प्राइवेट कार्मिकों के लिए रु.100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।

4. पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है।
- परीक्षा शुल्क 'भारतीय स्टेट बैंक' की website - www.onlinesbi.com पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।

5. पाठ्यपुस्तकें

सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

6. वित्तीय प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वित्तीय वेतन प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है, जो उनके विभाग द्वारा दिया जाएगा।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		55% से 59%	60% से 69%	70% या अधिक
1.	प्रबोध	रु.400	रु.800	रु.1600
2.	प्रवीण	रु.600	रु.1200	रु.1800
3.	प्राज्ञ	रु.800	रु.1600	रु.2400
4.	पारंगत	रु.4000	रु.7000	रु.10000

प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का।जा। सं०-21034/66/2010-रा।भा। (प्रशि।) दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें तथा पारंगत परीक्षा के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का।जा। सं०-21034/69/2008-रा।भा। (प्रशि।) दिनांक 21 दिसंबर 2020 देखें।

7. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1 तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(प) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के संकाय सदस्य द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

8. नया केंद्र खोलने के संबंध में

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो हर कक्षा के लिए कम से कम 20 से 25 प्रशिक्षार्थियों को नामित करना सुनिश्चित करें। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.07.2024 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय रहते नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

9. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सहायनीय होगा।
- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।
- सभी मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।
- सभी मंत्रालयों से यह भी अनुरोध है कि वे हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित अर्ध वार्षिक रिपोर्ट (अनुलग्नक-III) समय पर भेजें।

उपनिदेशक(मध्योत्तर) के अंतर्गत संभावित हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों के नाम व पते
(सत्र जुलाई-नवंबर, 2024)

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र
1.	हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र, आर के पुरम, नई दिल्ली-66
2.	सीमा सड़क भवन, नारायणा, रिंग रोड, नई दिल्ली
3.	संघ लोक सेवा आयोग, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
4.	तिहाड़ जेल परिसर, तिहाड़ जेल, लाजवन्ती गार्डन, नई दिल्ली
5.	रेल भवन, रेल मंत्रालय, रायसिना मार्ग, नई दिल्ली
6.	वायुसेना स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैंपस, नई दिल्ली
8.	भारतीय खेल प्राधिकरण, ज०ला०ने०स्टेडियम, नई दिल्ली।
9.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेक्टर - 13, आर. के. पुरम नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली
11.	भविष्य निधि संगठन भीकाजी कामा प्लेज, नई दिल्ली-110066
12.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली-22
13.	फुटबल डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सेक्टर-24, नोएडा
14.	सी-डैक, सेक्टर-62, नोएडा
15.	56 एएसपी, एयरफोर्स स्टेशन, डब्लुआ कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
16.	सी. आई. एस. एफ., न्यू प्रेस कॉलोनी, हार्डवेयर चौक, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
17.	राष्ट्रीय सोमेट व भवन सामग्री परिषद, दिल्ली मथुरा रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
18.	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, महालेखाकार का कार्यालय, सेक्टर-17, चण्डीगढ़
19.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विंग, वायुसेना हवाई अड्डा, चण्डीगढ़
20.	आई टी वी पी, भानु चण्डीगढ़
21.	सी आर पी एफ, लालबास, जयपुर
22.	सीमा सुरक्षा बल, लवाना कैंप, जयपुर
23.	सी आई एस एफ, आमेर, जयपुर
24.	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, देवली
25.	हिन्दी शिक्षण योजना जम्मू गण्याल जम्मू

* संकाय सदस्यों की उपलब्धता के अनुसार

सभी विभागाध्यक्षों/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें साथ ही अपने कार्यालय का दूरभाष/ फैक्स नंबर एवं ई मेल का पता भी भेजें जिससे पत्राचार में सुविधा हो।
अधिक जानकारी के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in को देखने का कष्ट करें।

भवदीया,

प. व. राधिका
23/4/2024

(डॉ.पी० वी० राधिका)

सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

पृष्ठांकन सं. 3/8/2023-उ.नि.(मध्योत्तर)/ 489

दिनांक: 23.04.2024

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तलपंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक, (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (परीक्षा), आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (भाषा), कार्यशाला/पत्राचार एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2- ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि), आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
6. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू, चंडीगढ़, जयपुर/देवली (राजस्थान)

प. व. राधिका
23/4/2024

(डॉ.पी० वी० राधिका)

सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

नामन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालयका पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

स्थान:
दिनांक

(हस्ताक्षर)
नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम.....

कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर व ई मेल सहित

.....
.....
(कार्यालय की मोहर)

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली
प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम : प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of candidate (BLOCK LETTERS)
लिंग (स्त्री /पुरुष/ अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता /पति का नाम (हिंदी में):	Father's/ Husband's name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में):	Designation of the candidate:
मातृभाषा:	Mother tongue:
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi:
मंत्रालय का नाम (हिंदी में):	Name of Ministry:
विभाग/कार्यालय का नाम (हिंदी में):	Name of Department/Office:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम :	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ईमेल आई.डी./दूरभाष	Full office address With E. mail id/ phone:
परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण। Bank details of Examination Fees:	
प्रशिक्षार्थी का दूरभाष/मोबाइल नं. : Candidate Phone/mobile no. :	
प्रशिक्षार्थी का ई-मेल आई.डी. : E.mail Id of the candidate	

नोट : कृपया प्रपत्र को अनिवार्य रूप से द्विभाषिक भरें।

दिनांक :

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली
प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम : (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत)

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of candidate (BLOCK LETTERS)
लिंग (स्त्री /पुरुष/ अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता /पति का नाम (हिंदी में):	Father's/ Husband's name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में):	Designation of the candidate:
मातृभाषा:	Mother tongue:
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi:
मंत्रालय (हिंदी में):	Name of Ministry:
विभाग का नाम (हिंदी में):	Name of Department:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम :	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ईमेल आई.डी./दूरभाष	Full office address With E. mail id/ phone:
परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण। Bank details of Examination Fees:	
दूरभाष: Phone/mobile	
ई-मेल आई.डी. : E.mail Id of the candidate	

Note: Please fill up this form in bilingual

दिनांक :

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्धवार्षिक रिपोर्ट
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/निगम/बैंक/उपक्रम आदि का नाम तथा पूरा पता (पिन कोड सहित)

		1	2	3	4	5
		प्रशासनिक अधिकारी		प्रचालन अधिकारी		योग
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
1.	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या					
2.	मद सं0 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ, पारंगत तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर्मचारियों की संख्या					
3.	मद सं0 1 में से	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी।				
4.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।				

5.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।					
6.	वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए भाषा प्रशिक्षण दिया जाना है।					
7.		जिनके लिए टंकण प्रशिक्षण दिया जाना है।					

कार्यालय अध्यक्ष का नाम.....

दूरभाष संख्या.....

ई-मेल

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर सहित
दूरभाष संख्या

संपर्क सूत्र

कार्यालय का पूरा पता :

उपनिदेशक(मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
पूर्वी खंड-7, लेवल-6,
आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26175246, 26191572

डॉ॥ पी० वी० राधिका
सहायक निदेशक व कार्यालयध्यक्ष
मो० 9444622262
ई० मेल chti1185@nic.in
ddhts-nc-dol@nic.in

डॉ. श्री रामेश्वर लाल मीना
सहायक निदेशक
मो० 9018451848
ई० मेल-chti1272@nic.in

सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक का नाम	मोबाइल नम्बर	ई.मेल आई डी
1. श्रीमती नीषा शर्मा, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9899989821	chti1227@nic.in
2. श्री राजकुमार चाल्मिकी, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9971953257	chti1260@nic.in
3. श्रीमती सीमा रानी, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9990197892	chti1267@nic.in
4. श्रीमती शोभा कृष्ण, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9840349234	chti1270@nic.in
5. श्रीमती सुनीता यादव, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9654009808	chti1284-dol@gov.in
6. सुश्री आकांक्षा मिश्रा, सहायक निदेशक (नई दिल्ली)	8720910570	chti1287-dol@nic.in
7. श्रीमती किरण लता यादव (हिंदी प्राध्यापक (नई दिल्ली))	9044220163	chti1299-dol@nic.in
8. श्रीमती पूनम, हिंदी प्राध्यापक, नई दिल्ली	9306096497	chti1305@nic.in
9. सुश्री सरोज बाला, हिंदी प्राध्यापक, (नई दिल्ली)	7976560754	chti1314-dol@gov.in
10. श्री राजेश कुमार मीना, सहायक निदेशक, (जयपुर)	9460474143	chti1277@nic.in
11. श्री महेश कुमार मीना, सहायक निदेशक (देवली,राज०)	9508155071	muheshgudli007@gmail.com
12. डॉ. श्रीमती जर्मिला सेनी, सहायक निदेशक, (चंडीगढ़)	8279230752	drumilasaini21@gmail.com